न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2022/94 दर्ज तिथिः–12.04.2022

1. अशोक कुमार पुत्र वेलाराम
2. किस्तुराराम पुत्र वेलाराम
3. जेठाराम पुत्र वेलाराम
4. प्रकाश पुत्र वेलाराम
5. मांगाराम पुत्र वेलाराम

जाति पुरोहित साकिन भालीखाल तहसील धोरीमना

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. तुलछाराम पुत्र भूराराम
3. विजयकुमार पुत्र दीपाराम
4. गवरी कंवर पुत्री दीपाराम
5. कृष्णा पुत्री दीपाराम

जाति बाह्मण निवासी डाबड तहसील गुडामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1585/1/3.7231 है0 मौजा डाबड़ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। प्रार्थीगण के पड़ोस में अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1585/1208/7.4462 है0 मौजा डाबड़ तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 के उक्त खसरान मूल खसरा संख्या 1585 से विभक्त होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए है। [illegible] खसरान का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में सही अंकित किया गया है, परंतु राजस्व [illegible] द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौका

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:41 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा व विभाजन प्रस्ताव से भिन्न अंकित कर दी। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2024/1313 दिनांक 24.05.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः–

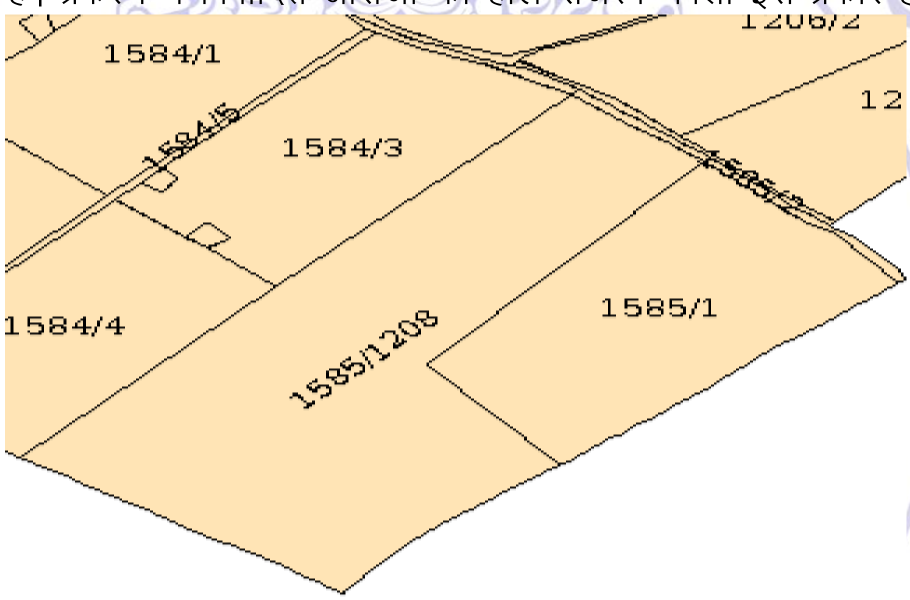

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1585/1 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1585/1208 मौजा पीरूवाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम हेतु तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/1313 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1313 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:41 IST
Reason: SelfAttested

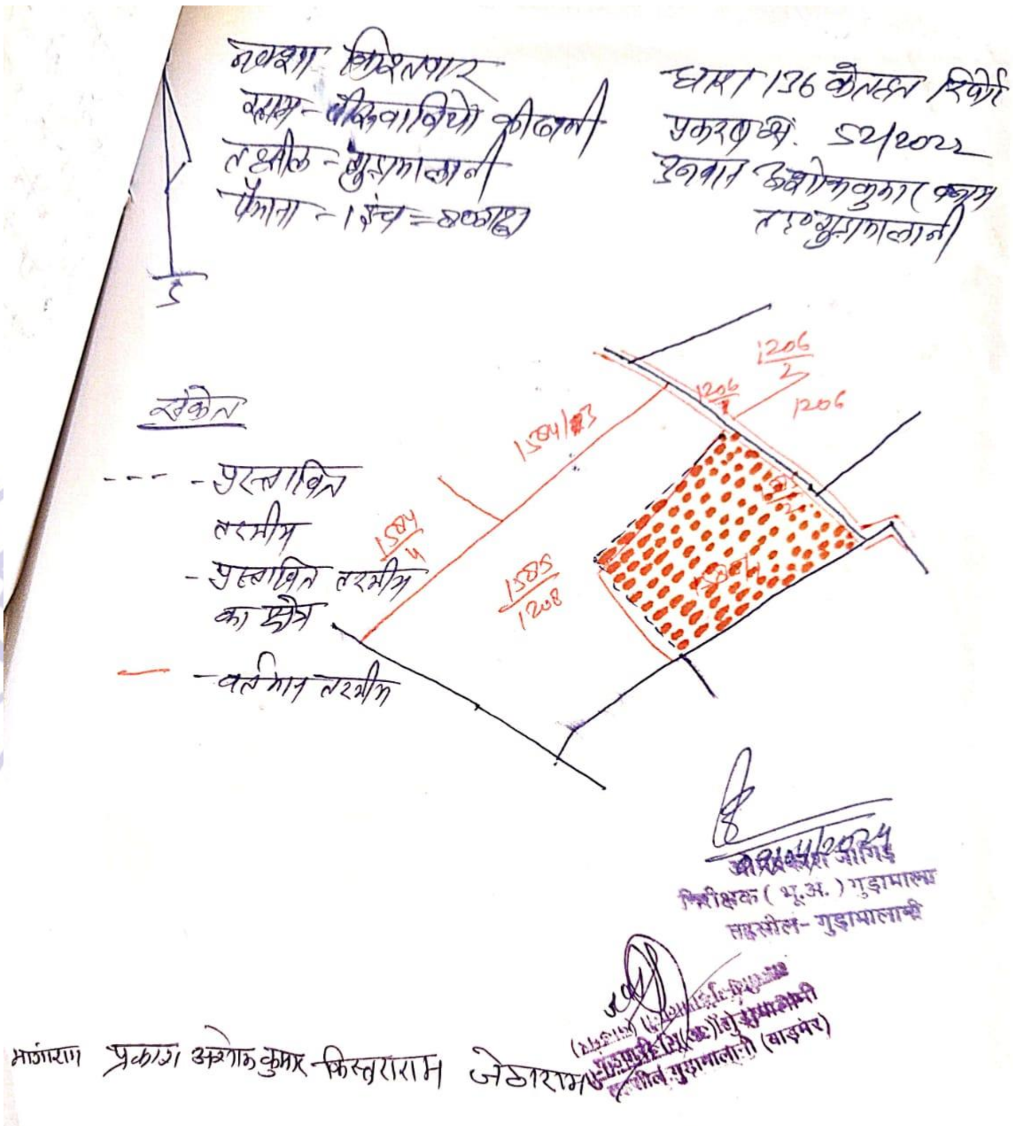

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक ⁄ भू.अ. ⁄ 2024 ⁄ 1313 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ग्राम पीरूवाणियों की ढाणी का खसरा संख्या 1585 ⁄ 1 रकबा 3.7231 है0 व खसरा संख्या 1585 ⁄ 1208 रकबा 7.4462 है0 के मध्य की सीमा की राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा व धारित रकबा से भिन्न है। उक्त दोनों खसरों के खातेदार एक ही परिवार के सदस्य हैं। जिनके द्वारा आपसी सहमति से कृषि जोतों का विभाजन करवाया गया। मौके पर वहामी कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाया गया। जबकि राजस्व नक्शा में तरमीम आंशिक रूप से भिन्न की गयी। प्रार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड में धारित भूमि तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम करवाना चाहते हैं।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक ⁄ भू.अ. ⁄ 2024 ⁄ 1313 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1585 ⁄ 1 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1585 ⁄ 1208 मौजा पीरूवाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी पड़ोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अ[illegible]र्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मु[illegible]ई है। तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:41 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1313 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1313 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/1313 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:41 IST
Reason: SelfAttested